ऑन लाईन नं. **RCMS 2018/00149**

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टबर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : रीना, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 27/2018

1. प्रमोद कुमार पुत्र स्व. अभिमन्यु जाति ब्राहम्ण निवासी 7 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. बृजमोहन पुत्र स्व. हरीकिशन पुत्र सुरजमल जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. वेदप्रकाश पुत्र स्व0 हरीकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सावित्री देवी पुत्री स्व0 हरीकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ (मृतक)
   3/1. महावीर पुत्र शिवरतन शर्मा निवासी गली नम्बर 20 नई आबादी, हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ।
   3/2. विरेन्द्र प्रकाश पुत्र शिवरतन शर्मा निवासी गली नम्बर 20 नई आबादी, हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ।
   3/3. यज्ञदत पुत्र शिवरतन शर्मा निवासी गली नम्बर 20 नई आबादी, हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ।
   3/4. कान्ता पुत्रीया शिवरतन शर्मा निवासी गली नम्बर 20 नई आबादी, हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ।
   3/5. कंचन पुत्रीया शिवरतन शर्मा निवासी गली नम्बर 20 नई आबादी, हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ।
   3/6. दुर्गा पुत्रीया शिवरतन शर्मा निवासी गली नम्बर 20 नई आबादी, हनुमानगढ टाउन जिला हनुमानगढ।
4. बंशीधर पुत्र सुरजमल जाति ब्राहम्ण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. विनोद कुमार पुत्र अभिमन्यु जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 13 पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. विरेन्द्र कुमार पुत्र अभिमन्यु जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 13 पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. कमलेश पुत्री अभिमन्यु पत्नी लीलाधर शर्मा निवासी पूजा कॉलोनी, हनुमानगढ रोड़, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. नन्दनी पुत्री अभिमन्यु पत्नी स्व.रमेशकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी हनुमानगढ टाउन सेक्टर नम्बर 3, नियर वाटर वर्क्स हनुमानगढ़ टाउन
9. शारदा पुत्री अभिमन्यु पत्नी लालचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी सांवतसर तहसील पदमपुर व जिला श्रीगंगानगर।
10. धनराज पुत्र स्व. प्रभादेवी पुत्री स्व. हरीकिशन जाति ब्रहाम्ण निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

11. विषणु पुत्र स्व. प्रभादेवी पुत्री स्व. हरीकिशन जाति ब्रहाम्ण निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
12. राजेश पुत्र स्व. प्रभादेवी पुत्री स्व. हरीकिशन जाति ब्रहाम्ण निवासी मोरजण्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
13. स्टेट ऑफ राजस्थन जरिए तहसीलदार (भू0अ0) श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्व इन्तकाल नम्बर 415 दिनांक 20.04.2018 तहसीलदार भू–अभिलेख श्रीगंगानगर जिसकी रूह से अपीलांट की भूमि चक 7 जैड का इन्तकाल गलत व यकतरफा तौर से करने का मृतक व्यक्ति तक के नाम सेा करने का गलत आदेश पारित किया गया बमुराद मन्सूखीया।

उपस्थित :–
1.श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.श्री सुरेश कुमार अरोड़ा अधिवक्ता

:: आदेश :: दिनांक :–29.11.2024

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट के परदादा स्व0 जगननाथ के नाम से चक 7 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 30 के 25 बीघा, मुरब्बा नम्बर 17 के 3 बीघा 4 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 52 के 25 बीघा , मुरब्बा नम्बर 31 में 2 बीघा 5 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 51 में 12 –1/2 बीघा, मुरब्बा नम्बर 56 का 2 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 57 में 3 बीघा 10 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 16 का 17 बीघा 7 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 17 का 6 बीघा 14 बिस्वा रकबा व चक 2 के.एन.एन. तहसील नोहर में मुरब्बा नम्बर 253/369, 352/369, व 352/370 तथा 353/370, 55/14, 54/24 में 27 बीघा भूमि खातेदारी थी, उक्त भूमि उसके देहान्त के बाद उसके पुत्र स्व. सुरजनमल को विरास्तन मिली। सुरजनमल ने अपने जीवनकाल में दो शादीया की थी। पहली कुन्ती से जिससे हरीकिशन, बशीधर, राजादेवी, शान्ति, गोमा व विद्या पैदा हुए तथा दूसरी मथूरा देवी से की जिससे रामप्रताप, गोरीशंकर व अभिमन्यु पैदा हुए। अभिमन्यु का भी देहान्त हो चुका है। रामप्रताप व गोरीशंकर का भी देहान्त हो चुका है। मथूरादेवी का भी देहान्त हो गया व कुन्ती का भी देहान्त हो चुका है। मथूरा देवी ने अपने जीवनकाल में अपनी कृषि भूमि की वसीयत अपीलांट व रेस्पोडेन्ट विनोदकुमार के हक में की गई। वसीयत को आज तक किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं किया गया है तथा सुरजनमल ने अपनी कुल 142 बीघा भूमि में से 1/7 हिस्सा की वसीयत अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट विनोद कुमार के हक में की गई। वसीयत के आधार पर इन्तकाल भी इनके नाम से हो गया तथा रेस्पोडेन्ट ने एक दावा सहायक जिलाधीश गंगानगर के समक्ष दिनांक 12.08.1983 को किया जो कि धारा 88–53 आरटीएक्ट का किया कि उक्त भूमि का विभाजन किया जावें । यह दावा आज भी विचाराधीन है। इसी बीच में एक वाद जो कि अपीलान्ट के दादा व दादी द्वारा अपीलान्ट व उसके भाई के हक में वसीयत की थी उस के सम्बन्ध में दावा हरीकिशन ने मुरब्बा नम्बर 51,52,57 आदि की भूमि के

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

सम्बन्ध में करवाकर डिक्री जारी करवा के तथा इन्तकाल करवाने की कार्यवाही की जिसमें तहसीलदार ने जांच करने पर दिनांक 28.05.1985 को इन्तकाल खारिज कर दिया तथा वसीयत के आधार पर इन्तकाल तस्दीक किया गया। रेस्पोडेन्ट के द्वारा आज तक उक्त रकबा व उक्त इन्तकाल के खिलाफ अपील नहीं की। अतः इन्तकाल फाईनल हो गया। अब कानूनन इन्तकाल नहीं किया जा सकता था। मगर अब एक प्रार्थना पत्र पेश होने पर दिनांक 03.04.2018 को रिपोर्ट ली गई तथा इन्तकाल कानून नहीं हो सकता था मगर गलत तौर से दिनांक 13.04.2018 को गिरदावर हल्का के द्वारा रिपोर्ट की कि रकबा के सम्बन्ध में राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील चल रही है जिसे आगामी पेशी नियत है मगर फिर भी गलत इन्तकाल करने का मृतक के नाम से भी करने का गलत आदेश पारित किया गया है जिसके खिलाफ यह अपील निम्नलिखित आधारों पर पेश की जा रही है:–

1. यह कि इन्तकाल नम्बर 415 जिसकी प्रमाणित प्रति शामिल है गलत, खिलाफ कानून, खिलाफ वाकेयात यकतरफा होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है।
2. यह कि इन्तकाल करने से पूर्व ना तो कोई कानूनी अथवा न्यायिक प्रक्रिया अपनाई गई ना ही सभी सम्बन्धित को बुलाया , ना ही सुना गया , ना ही कोई आपत्ति सूचना ही जारी की गई , ना ही किसी समचार पत्र में प्रकाशित करवाई गई , ना ही सभी प्रभावित को बुलाया व सुना गया। अपीलांट भी वसीयत की रूह से हकदार होते हुए उनको भी ना तो बुलाया ना ही सुना गया है। अतः इन्तकाल गलत यकतरफा होने से हर प्रकार से ही निरस्तनीय है।
3. यह कि अदालत मातहत ने ना तो इन्तकाल नियमों की पालना की , ना ही लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई। कब्जा की कोई जांच नहीं की गई जबकि कब्जा मुरब्बा नम्बर 51,52,56,57 चक 7 जैड की भूमि पर अपीलान्ट का चला आ रहा है। जबकि लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों के अनुसार कब्जा की जांच करना अनिवार्य था। पटवारी ने भी लिखा कि कब्जा अपीलांट का चला आ रहा है इस प्रकार से बिना कानुनी प्रक्रिया अपनाए ही आदेश जेर अपील पारित किया गया है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार था, मगर सुना नहीं गया। अतः धारा 96 सीपीसी की दरखास्त के साथ अपील पेश की जा रही है।
4. यह कि कब्जा के अभाव में रेस्पोडेन्टस के नाम से इन्तकाल ही नहीं किया जा सकता था। अभिमन्यु का देहान्त 21 साल पूर्व ही हो गया जबकि मृतक के हक में इन्तकाल किया गया है जबकि कानूनन किसी मृतक के खिलाफ अथवा उसके हक में कोई ही पारित नहीं किया जा सकता है। अतः इन्तकाल जेर अपील निरस्तनीय है।
5. यह कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल ने अपने विभिन्न निर्णयों में यही सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि बिना प्रभावित को बुलाए सुने पारित किया गया आदेश निरस्तनीय होगा। अतः इन्तकाल जेर अपील में अंकित भूमि पर कब्जा अपीलान्ट का होने , वसीयत उसके हक में होने से वह प्रभावित था, मगर नहीं सुना। अतः आदेश निरस्तनीय है।
6. यह कि अगर अपीलान्ट को बुलाया सुना गया होता तो सही तथ्य सामने आने पर ऐसा इन्तकाल नहीं किया जा सकता था। अतः इन्तकाल गलत किया गया है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

7. यह कि अन्य वजुहात वरवक्त बहस अर्ज होगें। अन्य मुकदमात भी विभिन्न अदालतो में चल रहे है। अतः इनके बीच इन्तकाल का आदेश कानुनन नहीं किया जा सकता था।

लिहाजा अपील पेश कर अर्ज है कि अपील स्वीकार की जाकर इन्तकाल जेर अपील को निरस्त करने का हुकम फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के परदादा स्व0 जगननाथ के नाम से चक 7 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 30 के 25 बीघा, मुरब्बा नम्बर 17 के 3 बीघा 4 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 52 के 25 बीघा , मुरब्बा नम्बर 31 में 2 बीघा 5 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 51 में 12 –1/2 बीघा, मुरब्बा नम्बर 56 का 2 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 57 में 3 बीघा 10 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 16 का 17 बीघा 7 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 17 का 6 बीघा 14 बिस्वा रकबा व चक 2 के.एन.एन. तहसील नोहर में मुरब्बा नम्बर 253/369, 352/369, व 352/370 तथा 353/370, 55/14, 54/24 में 27 बीघा भूमि खातेदारी थी, उक्त भूमि उसके देहान्त के बाद उसके पुत्र स्व. सुरजनमल को विरास्तन मिली। सुरजनमल ने अपने जीवनकाल में दो शादीया की थी। पहली कुन्ती से जिससे हरीकिशन, बशीधर, राजादेवी, शान्ति, गोमा व विद्या पैदा हुए तथा दूसरी मथुरा देवी से की जिससे रामप्रताप, गोरीशंकर व अभिमन्यु पैदा हुए। अभिमन्यु का भी देहान्त हो चुका है। रामप्रताप व गोरीशंकर का भी देहान्त हो चुका है। मथुरादेवी का भी देहान्त हो गया व कुन्ती का भी देहान्त हो चुका है। मथुरा देवी ने अपने जीवनकाल में अपनी कृषि भूमि की वसीयत अपीलांट व रेस्पोडेन्ट विनोदकुमार के हक में की थी। वसीयत को आज तक किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया गया है तथा सुरजनमल ने अपनी कुल 142 बीघा भूमि में से 1/7 हिस्सा की वसीयत अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट विनोद कुमार के हक में की थी। वसीयत के आधार पर इन्तकाल भी इनके नाम से हो गया था। रेस्पोडेन्ट ने एक दावा सहायक जिलाधीश गंगानगर के समक्ष दिनांक 12.08.1983 को किया जो कि धारा 88–53 आरटीएक्ट का किया कि उक्त भूमि का विभाजन किया जावें। यह दावा आज भी विचाराधीन है। इसी बीच में एक वाद जो कि अपीलान्ट के दादा व दादी द्वारा अपीलान्ट व उसके भाई के हक में वसीयत की थी उसके सम्बन्ध में दावा हरीकिशन ने मुरब्बा नम्बर 51,52,57 आदि की भूमि के सम्बन्ध में करवाकर डिक्री जारी करवाकर इन्तकाल करवाने की कार्यवाही की जिसमें तहसीलदार ने जांच करने पर दिनांक 28.05.1985 को इन्तकाल खारिज कर दिया तथा वसीयत के आधार पर इन्तकाल तस्दीक किया गया। रेस्पोडेन्ट के द्वारा आज तक उक्त रकबा व उक्त इन्तकाल के खिलाफ कोई अपील नहीं की, इन्तकाल फाईनल हो गया। अधिनस्थ न्यायलाय द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश होने पर दिनांक 03.04.2018 को रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 13.04.2018 को गिरदावर हल्का के द्वारा रिपोर्ट की कि रकबा के सम्बन्ध में राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील चल रही है जिसे आगामी पेशी नियत है मगर फिर भी गलत इन्तकाल करने का मृतक के नाम से भी करने का गलत आदेश पारित किया गया। इन्तकाल

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

करने से पूर्व ना तो कोई कानूनी अथवा न्यायिक प्रकिया अपनाई गई ना ही सभी सम्बन्धित को बुलाया , ना ही सुना गया , ना ही कोई आपत्ति सूचना ही जारी की गई , ना ही किसी समचार पत्र में प्रकाशित करवाई गई , ना ही सभी प्रभावित को बुलाया व सुना गया। अपीलांट भी वसीयत के आधार पर हकदार थे उनको भी ना तो बुलाया ना ही सुना गया। अदालत मातहत ने ना तो इन्तकाल नियमों की पालना, ना ही लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की भी पालना नहीं की गई न कब्जा की कोई जांच की जबकि कब्जा मुरब्बा नम्बर 51,52,56,57 चक 7 जैड की भूमि पर अपीलान्ट का चला आ रहा है। लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों के अनुसार कब्जा की जांच करना अनिवार्य था। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में कब्जा अपीलांट का चला आ रहा है रिपोर्ट की है। अभिमन्यु अपीलांट का पिता का देहान्त 21 साल पूर्व ही हो गया जबकि मृतक के हक में इन्तकाल किया गया है, कानूनन किसी मृतक के खिलाफ अथवा उसके हक में कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अतः अपील स्वीकार की जाकर इन्तकाल जेर अपील को निरस्त करने का हुकम फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त विवादित रकबा सूरजमल द्वारा मथुरा देवी के नाम से खरीद की गई थी। मथुरा देवी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। हरी कृष्ण व बंसीधर ने सूरजमल के विरूद्व माननीय सिविल न्यायलय (व0ख0) श्रीगंगानगर में एक वाद संख्या 32/1959 बाबत विभाजन प्रस्तुत किया था। माननीय सिविल न्यायलय (व0ख0) श्रीगंगानगर द्वारा प्रारम्भिक डिक्री में संयुक्त परिवार की घोषित की गई थी और शाश्वत व्यादेश भी प्रदान किया गया था, परन्तु सन् 1985 में प्रमोद कुमार व विनोद कुमार द्वारा न्यायालय के आदेश की अवज्ञास करते हुए उपरोक्त समस्त कृषि भूमि का इंतकाल अपने नाम से दर्ज करवा लिया और इसके पश्चात वाद संख्या 32/1959 में माननीय अपर जिला न्यायालय में आवेदन अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया। तत्पश्चात प्रमोद कुमार व विनोद कुमार द्वारा हरीकृष्ण व बंसीधर आदि के साथ समझौता कर लिया गया और अपना प्रार्थना पत्र विड्रा कर लिया गया जिस पर उपरोक्त शीर्षक के वाद में अंतिम डिक्री पारित कर दी गई। इसके पश्चात प्रमोद कुमार व विनोद कुमार के भाई विरेन्द्र कुमार द्वारा एक अपील उक्त आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.01.2018 को प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया गया जिसके विरूद्व विरेन्द्र कुमार ने माननीय सर्वोच्चय न्यायालय में भी अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 24.10.2018 को निरस्त फरमा दी गई और दिनांक 03.01.2018 के पश्चात हरीकृष्ण एवं बंसीधर की कृषि भूमि को कब्जा करने के आश्य से झूठे व मिथ्या आधारो पर राजस्व न्यायालय में इंतकाल एवं विभाजन के सम्बन्ध में झूठी कार्यवाहीयां की गई है जो कि राजस्व बोर्ड द्वारा दिनांक 03.08.2018 को निरस्त फरमा दी गई। प्रार्थी हरीकृष्ण के उत्तराधिकारीयों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03.01.2018 की अवमानना के सम्बन्ध में प्रमोद कुमार व विनोद कुमार के विरूद्व अवमानना याचिका भी प्रस्तुत कर रखी थी जिसका निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2018 को हरीकृष्ण के उत्तराधिकारीयों एवं बंसीधर के पक्ष में आदेश जारी कर दिया गया। इन्तकाल संख्या 415 दिनांक 20.04.2018 की

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अपील प्रमोद कुमार व विनोद कुमार द्वारा की गई जो मिथ्या व निराधार आधारों पर की गई है जिसकी वे करने के अधिकारी नहीं है। मिथ्या आधारों पर अपील प्रस्तुत करने के लिए प्रमोद कुमार के विरूद्व फौजदारी मुकदमा माननीय न्यायालय द्वारा किया जावें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें एवं मिथ्या तथ्यों पर जो अपील प्रस्तुत की गई है अपीलांट के विरूद्व फौजदारी कार्यवाही की जावें।

अधिवक्त उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र रूल–22 नियम 1 सीपीसी पर भी बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या–3 का स्वर्गवास 10.08.2020 को हो चुका है, जिसकी जानकारी अपीलांट को देरी से प्राप्त हुई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के वारिसान को पार्टी बनाया जावें। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने आपत्ति करते हुए कथन किया की अपील मृतक व्यक्ति के विरूद्व पेश की गई है। अतः अपील अपीलार्थी मृतक व्यक्ति के विरूद्व पेश करने के कारण खारिज फरमाई जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया तो उसमें वर्णित कारणों के मध्यनजर पाया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22 नियम 4 दीवानी प्रकिया संहिता न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाना उचित है। क्योंकि रेस्पोडेन्ट सख्या 03 सावित्री देवी पुत्री स्व. हरीकिशन जाति ब्रहाम्ण निवासी हनुमानगढ टाउन, जिला हनुमानगढ के विधिक उत्तराधिकारीगण महावीर, विरेन्द्र प्रकाश, यज्ञदत पुत्र मन्जू, कान्ता, कंचन, दुर्गा पुत्रीया कुल सात वारिस है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) अनुसार प्रथम श्रैणी के वारिसान को ही पक्षकार बनाया जा सकता है। अतः इस प्रास्थिति में न्यायहित में आवेदन स्वीकार करने योग्य है। मृतक रेस्पोडेन्ट सख्या 03 सावित्री देवी पुत्री स्व. हरीकिशन जाति ब्रहाम्ण निवासी हनुमानगढ टाउन, जिला हनुमानगढ के विधिक उत्तराधिकारीगण महावीर, विरेन्द्र प्रकाश, यज्ञदत पुत्र मन्जू, कान्ता, कंचन, दुर्गा पुत्रीया प्रथम श्रैणी के वारिस है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22 नियम 4 दीवानी प्रकिया संहिता स्वीकार जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1 से 3/7 के रूप में लाल स्याही से अंकन किया जाता है। चूंकि वेदप्रकाश द्वारा दस्तावेजात में दस्तबदारी सावित्री देवी द्वारा अपना हक त्याग वेदप्रकाश के हक में किया हुआ है। इस कारण सावित्री देवी का अब इस सम्पति में कोई हक व हिस्सा शेष नही है एवंम पैरवी हेतू भी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 वेदप्रकाश को अपना मुखत्यारेआम नियुक्त किया हुआ है और वेदेप्रकाश की ओर से न्यायालय में अधिवक्ता उपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1 से 3/7 को तलब करने की आवश्यकता नहीं है। विवादित इन्तकाल जो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) श्रीगंगानगर द्वारा स्वीकृत किया गया है उसमें पक्षकारान विनोद कुमार–प्रमोद कुमार से हरीकिशन–बंशीधर पुत्र सुरजमल व अभिमन्यु पुत्र सुरजमल व विनोद कुमार –विरेन्द्रकुमार पिसरान अभिमन्यु के नाम से स्वीकृत किया गया जबकि अधिवक्ता अपीलांट द्वारा 12 पक्षकार स्टेट के अलावा बनाये गये जिनमें से रेस्पोडेन्ट संख्या–3, 7 ता 12 का इन्तकाल से कोई सरोकार नहीं है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि विवादित इंतकाल संख्या 415 दिनांक 20.04.2018 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) श्रीगंगानगर द्वारा ए.डी.जे. श्रीगंगागनर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.12.1987 की पालना में स्वीकृत किया गया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि होना नहीं पाया जाती

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

क्योंकि विवादित इंतकाल संख्या 415 दिनांक 20.04.2018 पर तहसीलदार (भू0अ0) श्रीगंगानगर द्वारा स्वयं की कलम से उक्त प्रविष्ट की गई है। **"पत्रावली में उपलब्ध अखबार की प्रति 2 अगस्त 2018 जिसमें उक्त खबर प्रकाशित हुई कि संपति विववाद में बीत गए 58 साल अब सुप्रीम कोर्ट ने किया निस्तारण"** अपीलार्थीगण द्वारा उक्त सम्पति का विवाद वर्ष 1959 से चला आ रहा है जिसके सम्बन्ध में रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से होता है। उक्त सम्पति विवाद को लेकर प्रकरण संख्या 32/59 माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश श्रीगंगागनर के न्यायालय में चला जिसका निर्णय दिनांक 05.12.1987 को हुआ व अन्य न्यायालयों में भी उक्त सम्पति विवाद को लेकर प्रकरण दर्ज हुए एवं उक्त सम्पति विवाद हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होकर निर्णय हुआ। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) श्रीगंगानगर द्वारा ए.डी.जे. श्रीगंगागनर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.12.1987 की पालना में स्वीकृत किया गया है जो विधिसम्मत् है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है क्योंकि उक्त इन्तकाल माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में स्वीकृत हुआ है। अतः अपील अपीलांट आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार (भू.अ.) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एंव रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर